

**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 102 एक के तहत ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार/कब्रिस्तान/शमशान
हेतु भूमि का आरक्षण बाबत चेक लिस्ट**

क्र. सं.	विवरण	सूचना/रिपोर्ट
1	प्रार्थी ग्राम पंचायत का नाम	
2	आरक्षण/आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण	
	1 नाम तहसील	टोंक
	2 नाम ग्राम	
	3 खसरा नंबर एवं खसरे का कुल रकबा	
	4 किस्म भूमि	
	5 प्रस्तावित क्षेत्रफल	
	6 जमाबंदी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है ?	
	7 क्या प्रस्तावित भूमि कमांड क्षेत्र में है ?	
	8 पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न है ?	
3	यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो	
	1 ग्राम में पशु संख्या	
	2 प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि	
	3 क्या पशु संख्या के अनुपात में चरागाह भूमि पर्याप्त हैं ?	
	4 यदि नहीं तो चरागाह की क्षतिपूर्ति के लिए क्या विकल्प है ?	
4	प्रस्तावित भूमि को आबादी/शमशान/कब्रिस्तान के लिए उपयुक्तता पर टिप्पणी	
5	विभागीय निर्देश दिनांक 20.10.83 के तहत आवश्यक सूचना	
	1 ग्राम की जनसंख्या	
	2 निवास हेतु भूमि की आवश्यकता (एकड़ में) (जनसंख्या में 35 का भाग देकर गणना की जावे)	
	3 विषयांतर्गत निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (1000 तक की जनसंख्या के लिए 10 एकड़ अगले प्रति 1000 या उसके भाग के लिए 5 एकड़ के आधार पर)	
	4 कुल वांछित आबादी का क्षेत्रफल	
	5 वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल	

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 102 एक के तहत ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार/कब्रिस्तान/श्मशान
हेतु भूमि का आरक्षण बाबत चेक लिस्ट

6	यदि निर्धारित मापदंड से अधिक आबादी भूमि प्रस्तावित की गई है तो कारण स्पष्ट किया जावे	
7	क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है ?	
8	यदि हां तो कितने व्यक्तियों के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है ?	
9	यदि अतिक्रमण का नियमन प्रस्तावित है तो किन शर्तों पर ?	
10	क्या अतिक्रमण का नियमन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता यदि नहीं तो क्यों	
11	राय	

हस्ताक्षर
पटवारी हल्का

हस्ताक्षर
भू.अ.निरीक्षक

हस्ताक्षर
तहसीलदार

हस्ताक्षर
उपखंड अधिकारी